एएसआई राम प्रताप.

बनाम

हरियाणा और अन्य

(ऑगस्टीन जॉर्ज मासिह, माननीय न्यायमूर्ति)

समक्ष मेहताब एस. गिल और ऑगस्टीन जॉर्ज मासिह माननीय न्यायमूर्ति

एएसआई राम प्रताप , — याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा और अन्य , — उत्तरदाताओं

C.W.P.No. 2007 का 13095 23 सितंबर, 2008

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226 और 311 (2) (बी)-पंजाब पुलिस नियम, 1934-नियम। 16.28 और 16.29 -सेवा से बर्खास्तगी-डीजीपी बर्खास्तगी के आदेश को कम करने और संचयी प्रभाव से चार वार्षिक वेतनवृद्धि पर रोक लगाने की सजा की समीक्षा की शक्तियों का प्रयोग करते हुए-याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील को सरकार ने खारिज कर दिया और कहा कि दूसरी अपील विचारणीय नहीं है-क्या डीजीपी द्वारा पारित आदेश के खिलाफ सरकार के समक्ष एक अधिकारी द्वारा दायर अपील विचारणीय है-आयोजित, हाँ-डीजीपी के आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर अपील पहली अपील है-याचिका को अनुमति दी गई, सरकार ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील पर कानून के अनुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया।

अभिनिर्धारित किया गया कि नियम 16.29 का अवलोकन स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि 1934 के नियमों के नियम 16.29 (1) और (2) के अधीन विशेष रूप से वेतनवृद्धि रोकने के आदेश के विरुद्ध एक अपील का उपबंध किया गया है। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक ने 1934 के नियमों के नियम 16.28 के अधीन अपनी पुनर्विलोकन शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 15 अक्तूबर, 2006 के अपने आदेश के माध्यम से पहली बार याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध आदेश पारित किया है क्योंकि विभागीय जांच में याचिकाकर्ताओं को दोषमुक्त कर दिया गया था, जिसकी रिपोर्ट अंबाला के पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वीकार कर ली गई थी। इसलिए, याचिकाकर्ताओं के लिए अपील दायर करने का कोई अवसर/कारण नहीं था। यह पुलिस महानिदेशक का 15 अक्टूबर, 2006 का आदेश है जिसके खिलाफ याचिकाकर्ताओं द्वारा अपील की गई थी और इस प्रकार सरकार के समक्ष अपील पहली अपील थी।

वित्त आयुक्त और हरियाणा सरकार के गृह विभाग के प्रधान सचिव द्वारा पारित 3 जनवरी के विवादित आदेश में केवल इतना कहा गया है कि 1934 के नियमों में दूसरी अपील दायर करने का कोई प्रावधान नहीं है, जो तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि यह याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर पहली अपील है।ऐसा प्रतीत होता है कि तथ्य प्रतिवादी संख्या 1 की जानकारी में नहीं लाए गए जिससे याचिकाकर्ताओं के वैधानिक अधिकार का हनन हुआ।। अपीलीय प्राधिकरण से विधि में यह अपेक्षा की जाती है कि वह एक युक्तियुक्त भाषण आदेश पारित करे जो इन मामलों में अनुपस्थित है क्योंकि दिनांक 3 जनवरी, 2007 का आदेश पूरी तरह से गैर-भाषी है और इसलिए इस आधार पर भी रद्द किया जाना चाहिए। 1934 के नियमों के नियम 16.29 के आलोक में, एक अपील के लिए विशेष रूप से उपबंध किया गया है और याचिकाकर्ताओं की अपील का निर्णय सरकार द्वारा गुणागुण के आधार पर किए जाने की आवश्यकता है।

(Paras 7 & 8)
S.S. दिनारपुर, याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता।
हरीश राठी, सीनियर डीएजी, हरियाणा।
न्यायमूर्ति, ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह,
(1) इस आदेश द्वारा, हम तीन रिट याचिकाओं i.e का निपटान करने का प्रस्ताव करते हैं। C.W.P. नं. 2007 का 13095, C.W.P. नं. 2007 का 13141 और C.W.P. नं. 2007 का 13133 अधिनियमों और विधि के सामान्य प्रश्नों के रूप में शामिल हैं।
(2) मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि सहायक उप निरीक्षक राम प्रताप, सहायक उप निरीक्षक बलबीर सिंह, हेड कांस्टेबल प्रेम सिंह, हेड कांस्टेबल रामबीर और हेड कांस्टेबल पाला राम आरोपी हरनेक सिंह को सरकारी वाहन में बरामदगी के लिए चंडीगढ़ ले जा रहे थे। चंडीगढ़ से अंबाला की वापसी की यात्रा पर हरनेक सिंह वाहन से कूद गया और अपनी हथकड़ी लेकर भाग गया। आरोपी हेड कांस्टेबल रामबीर सिंह और हेड कांस्टेबल पाला राम के नियंत्रण में था। तीनों याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ हेड कांस्टेबल पाला राम और हेड कांस्टेबल रामबीर को आरोप पत्र जारी किया गया था। उपर्युक्त तीन रिट याचिकाओं की जांच पर तीनों याचिकाकर्ताओं को दोषमुक्त कर दिया गया और हेड कांस्टेबल रामबीर और हेड कांस्टेबल पाला राम को दोषी ठहराया गया। पुलिस अधीक्षक, अंबाला-प्रतिवादी नं। 3 जांच रिपोर्ट से सहमत होकर दोनों अपराधी अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त करने की सजा दी गई। इसका प्रभाव यह हुआ कि तीनों रिट याचिकाओं में तीनों याचिकाकर्ताओं के दोषमुक्त होने की पुष्टि हो गई। हेड कांस्टेबल रामबीर और हेड कांस्टेबल पाला राम ने पुलिस महानिरीक्षक, अंबाला रेंज, अंबाला-प्रत्यर्थी नं। 3 बर्खास्तगी के आदेश के विरुद्ध जिन्होंने 24 नवंबर, 2005 को अपनी अपील खारिज कर दी। इसके बाद, हेड कांस्टेबल रामबीर और हेड कांस्टेबल पाला राम ने पुलिस महानिदेशक, हरियाणा के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर की। 2. उनकी पुनरीक्षण याचिकाओं को आंशिक रूप से अनुमति दी गई थी और सेवा की अवधि को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी नं। 2 और सेवा से बर्खास्तगी के आदेश को स्थायी प्रभाव से चार वेतनवृद्धि को रोकने के लिए कम कर दिया गया था।

(3) दोनों पुलिस अधिकारियों की पुनरीक्षण याचिका को खारिज करते हुए, तीनों याचिकाकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। याचिकाकर्ताओं द्वारा जवाब प्रस्तुत किए जाने पर, पुलिस महानिदेशक-प्रत्यर्थी नं। 2 संचयी प्रभाव से चार वार्षिक वेतनवृद्धि का दंड लगाया गया-15 सितंबर, 2006 के आदेश के अनुसार (Annexure P-10).

(4) पुलिस महानिदेशक, हरियाणा-प्रत्यर्थी सं। 2 पंजाब पुलिस नियम के नियम 16.28 के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित किया गया, जैसा कि हरियाणा राज्य पर लागू होता है (इसके बाद 1934 नियम के रूप में संदर्भित) याचिकाकर्ताओं ने 1934 नियम के नियम 16.29 के अधीन राज्य सरकार को मूल आदेश से पहली अपील दायर की। प्रतिवादी नं. 1,-दिनांक 3 जनवरी, 2007 के उनके आदेश (अनुलग्नक पी-12) द्वारा रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर तीन अपीलों को इस आधार पर सम तिथि का स्पीकिंग ऑर्डर पारित करके खारिज कर दिया गया कि यह दूसरी अपील थी और इसलिए, हरियाणा राज्य पर लागू पंजाब पुलिस नियम, 1934 के अनुसार बनाए रखने योग्य नहीं थी।

(5) इस मामले में केवल एक ही प्रश्न पर निर्णय लेने की आवश्यकता है कि क्या पुलिस महानिदेशक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सरकार के समक्ष किसी अधिकारी द्वारा दायर की गई अपील, जिसने 1934 के नियमों के नियम 16.28 के तहत अपनी समीक्षा की शक्तियों का प्रयोग किया है, जैसा कि हरियाणा पर लागू होता है, विचारणीय है या नहीं।

(6) 1934 के नियमों के नियम 16.29 में उन आदेशों के विरुद्ध अपील करने का उपबंध है जो इस प्रकार हैंः-"16.29। अपील का अधिकार -(1) पदोन्नति के लिए स्वीकृत सेवा की बर्खास्तगी या कटौती या वृद्धि को रोकने या जब्त करने के आदेशों के विरुद्ध ही अपील की जाएगी।

(2) मूल आदेश से केवल एक ही अपील होगी, और अपीलीय प्राधिकारी का आदेश अंतिम होगा।

(3) अपील योग्य मूल आदेश की एक प्रति संबंधित व्यक्ति को निःशुल्क प्रदान की जाएगी।

(4) उपनियम (1) के अधीन अपील करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति पूर्ण अभिलेख या उसके किसी भाग की प्रति के लिए अधीक्षक को आवेदन कर सकता है। इस तरह की प्रतियां प्रतिपरीक्षा की सुविधा या बचाव की तैयारी के लिए मूल कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान नहीं दी जाएंगी। प्रारंभिक पूछताछ के रिकॉर्ड की प्रतियां [नियम 16.24 (viii)] अपील के उद्देश्यों के लिए नहीं दी जाएंगी।

जब तक आवेदक जेल में न हो, इस तरह के आवेदन पर दो आन्नों के मूल्य की अदालत-शुल्क की मुहर लगेगी और इसके साथ जिले के दीवानी न्यायालयों में लागू पैमाने के तहत प्रभार्य प्रतिलिपि शुल्क जमा किया जाएगा।

(5) ऐसे अभिलेख की प्रति यथासंभव कम विलंब के साथ दी जाएगी, और अधीक्षक इसकी शुद्धता और उस तारीख तक प्रमाणित करेगा जिस दिन इसे आवेदक को दिया गया था

(6) कटौती और बर्खास्तगी के मामलों में अपीलकर्ता प्राधिकरण निम्नलिखित तालिका में इंगित किया गया हैः -

अधिकारी जिसके द्वारा गठित प्राधिकरण में सजा का मूल	अपीलीय आदेश

उप अधीक्षक (प्रशासनिक), अपीलकर्ता कटौती के मामलों में प्राधिकारी और सरकारी रेलवे पुलिस, रेलवे पुलिस उप-मंडल के प्रभारी उपाधीक्षक।	सहायक महानिरीक्षक, राजकीय रेलवे पुलिस
पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ सहायक अधीक्षक पुलिस अधिकारी, लाहौर, रंगरूट प्रशिक्षण के प्रभारी अधिकारी केंद्र, उप अधीक्षक पंजाब सशस्त्र पुलिसपुलिस (के रूप में नामित) लाहौल और स्पीति.	पुलिस उप महानिरीक्षक और सहायक महानिरीक्षक प्रांतीय अतिरिक्त पुलिस (कमांडेंट प्रांतीय अतिरिक्त पुलिस के रूप में नामित)
उपमहानिरीक्षक पुलिस अधिकारी, सहायक निरीक्षक- पुलिस, सहायक सामान्य, प्रांतीय अतिरिक्त पुलिस, (कमांडेंट के रूप में नामित।	प्रांतीय अतिरिक्त पुलिस, सहायक पुलिस महानिरीक्षक यातायात

(7) कटौती के विरुद्ध अपील उस जिले के पुलिस अधीक्षक के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी जिसमें अपीलार्थी सेवारत है, लेकिन सीधे पुलिस उप महानिरीक्षक के अधीन सेवारत अधिकारियों के मामले में ऐसी पुलिस उप महानिरीक्षक के माध्यम से अपील की जाएगी। बर्खास्तगी के खिलाफ अपील सीधे अपीलीय प्राधिकरण को भेजी जाएगी।

(7) उपरोक्त नियम का अवलोकन स्पष्ट रूप से इंगित करेगा कि वेतन वृद्धि को रोकने के आदेश के खिलाफ एक अपील विशेष रूप से 332 I.L.R रही है। पंजाब और हरियाणा 2008 (2) 1934 के नियमों के नियम 16.29 (1) और (2) के तहत प्रदान किया गया। पुलिस महानिदेशक, हरियाणा ने 1934 के नियमों के नियम 16.28 के अधीन अपनी पुनर्विलोकन शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 15 अक्तूबर, 2006 के अपने आदेश के द्वारा पहली बार याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध आदेश पारित किया है क्योंकि विभागीय जांच में याचिकाकर्ताओं को दोषमुक्त कर दिया गया था और रिपोर्ट को पुलिस अधीक्षक, अंबाला द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। इसलिए याचिकाकर्ताओं के पास अपील दायर करने का कोई अवसर/कारण नहीं था। यह पुलिस महानिदेशक का दिनांक 15 अक्टूबर, 2006 का

आदेश है जिसके खिलाफ याचिकाकर्ताओं द्वारा अपील की गई थी और इस प्रकार सरकार के समक्ष अपील पहली अपील थी।

(8) वित्त आयुक्त और हरियाणा सरकार के गृह विभाग के प्रधान सचिव द्वारा पारित दिनांक 3 जनवरी, 2007 के आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक पी-12) में केवल इतना कहा गया है कि 1934 के नियमों में दूसरी अपील दायर करने का कोई प्रावधान नहीं है, जो तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि यह याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर पहली अपील है। ऐसा प्रतीत होता है कि तथ्यों को प्रत्यर्थी नं. 1 जिससे याचिकाकर्ताओं के वैधानिक अधिकार को बाधित किया जा सके। अपीलीय प्राधिकारी से विधि में यह अपेक्षा की जाती है कि वह एक युक्तियुक्त भाषण आदेश पारित करे जो इन मामलों में अनुपस्थित है क्योंकि दिनांक 3 जनवरी, 2007 का आदेश (इन तीनों मामलों में अनुलग्नक पी-12) पूरी तरह से गैर-भाषी है और इसलिए इस आधार पर भी रद्द किया जाना चाहिए। 1934 के नियमों के नियम 16.29 के आलोक में, एक अपील के लिए विशेष रूप से उपबंध किया गया है और याचिकाकर्ताओं की अपील का निर्णय सरकार द्वारा गुणागुण के आधार पर किए जाने की आवश्यकता है।

(9) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, ये याचिकाएं i.e. C.W.P. नं. 2007 का 13095, C.W.P. नं. 2007 का 13141 और C.W.P. नं. 2007 का 13133 अनुमत है। वित्तीय आयुक्त और हरियाणा सरकार के गृह विभाग के प्रधान सचिव द्वारा तीनों मामलों में पारित आदेश, दिनांक 3 जनवरी, 2007 (अनुलग्नक पी-12) को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है। प्रतिवादी नं. को एक निर्देश जारी किया गया है। 1 इस आदेश की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति की तारीख से दो माह की अवधि के भीतर गुणदोष के आधार पर बोलने का आदेश पारित करके कानून के अनुसार याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील पर निर्णय करना।

(10) यदि याचिकाकर्ता द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के लिए अनुरोध किया जाता है, तो उस पर भी विचार किया जा सकता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कि सी अन्य उद्देश्य के लि ए इसका उपयोग नहीं कि या जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

पीयूष चौधरी
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
जगाधरी, हरियाणा